न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली (जयपुर)

पीठासीन अधिकारी :- जगदीश आर्य
आर.ए.एस

अपील संख्या :- 51/2021

गोपाल कृष्ण शर्मा पुत्र स्व. प्रभूदयाल जाति ब्राहमण उम्र 50 वर्ष निवासी ग्राम लाखनी तहसील शाहपुरा जिला जयपुर (राज.) हाल निवासी 40ए रामनगर मुरलीपुरा सीकर रोड जयपुर (राज.)

प्रार्थी / अपीलान्ट

बनाम

तहसीलदार शाहपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर (राज.)

अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व नामा.सं. दिनांक 16/4/2021 जो तहसीलदार (भू.अ.) शाहपुरा जिला जयपुर द्वारा खोला गया है को दिनांक बिना किसी कारण के बिना सुनवायी के दिनांक 09/7/2021 को निरस्त कर दिया जो अपास्त करने बाबत उक्त अपील पेश है।

निर्णय

दिनांक 11.3.2022

अपीलार्थी की ओर से संक्षेप में अपील निम्न प्रकार पेश की है जिसके बिन्दुवार तथ्य इस प्रकार पेश हैं :-

1. प्रार्थी अपीलार्थी ने तहसीलदार शाहपुरा के समक्ष एक प्रार्थना-पत्र इस प्रकार पेश किया कि स्व. महादेव प्रसाद जोशी पुत्र कन्हैयालाल जोशी जाति ब्रहमण ग्राम लाखनी तहसील शाहपुरा जिला जयपुर की एक वसीयत 24/5/2012 ग्राम लाखनी पटवार हल्का कांट तहसील शाहपुरा के आराजी ख.नं. 118, 119, 120, 121, 446, 516 व 517 कुल किता 7 रकबा 2.13 एवं ग्राम लेटकाबास तहसील शाहपुरा के आराजी ख.नं. 1021 रकबा 0.30 हैक्टर 1031 रकबा 0.16, ख.नं. 320/0.30, 332/0.24 है0, 328/0.22 कुल किता 5 रकबा 1.22 हिस्सा सम्पूर्ण वसीयत प्रार्थी के नाम की थी जिसका नामा. खोला जावें। तहसीलदार शाहपुरा द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर पटवारी हल्का से मौका वस्तु स्थिति की जांच रिपोर्ट हेतु लिखा गया । पटवारी हल्का कांट लेट निठारा की जांच रिपोर्ट 29/01/2021 को प्राप्त हुयी, जिसमें बताया कि ग्राम लाखनी पटवार हल्का कांट के आराजी ख.नं. 118, 119, 120, 121, 122, 446, 516, 517 कुल किता 7 में महादेव पुत्र कन्हैयालाल हिस्सा 1/4 सीताराम पुत्र हरिप्रसाद हिस्सा 1/4 गोपाल कृष्ण शर्मा पुत्र प्रभूदयाल का हिस्सा 1/4 जाति ब्राहमण सा. देह खातेदार के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दज है। वसीयत पूर्व की है जो नोटेरी पब्लिक से प्रमाणित है। कोई स्थगन विवाद नहीं है। अब्दुल रहमान प्रकरण मंदिर माफी से प्रभावित नहीं है। उक्त वसियत में वर्णित भूमि महादेव प्रसाद जोशी द्वारा स्वअर्जित है (विकय पत्र द्वारा) खातेदारी वसीयत से पूर्व की है। गवाहों को उपस्थित होने बाबत 17/02/2021 को नाटिस जारी हुये गवाहान उपस्थित होकर मय शपथ-पत्र अपने बयानात के शपथ-पत्र पेश किया जिसमें उक्त वसीयत के सम्बन्ध में गवाह होना स्वीकार किया है। प्रार्थी/अपीलान्ट द्वारा दिनांक 25/3/2021 को प्रार्थी गोपाल कृष्ण ने प्रा.पत्र शपथ-पत्र दिया कि महादेव प्रसाद जोशी की पत्नी केशरी देवी की मृत्यु हो चुकी है साथ ही स्वर्गीय महादेव प्रसाद जोशी के पुत्र ब्रहमप्रकाश शर्मा के सम्बन्ध में कोई आपत्ति नहीं है एवं दिनांक 25/3/2021 को पत्रांक भू.अ./2021/1123 से आम सूचना प्रकाशन हेतु पत्र जारी किया गया जिसकी विज्ञप्ति राजदूत में दिनांक 27/3/2021 को पृष्ठ संख्या 02 पर जारी हुयी. जिसकी किसी भी व्यक्ति ने कोई आपत्ति दर्ज नहीं करायी। स्वर्गीय महादेव प्रसाद जोशी पुत्र कन्हैयालाल जोशी जाति ब्राहमण निवासी ग्राम लाखनी तहसील शाहपुरा जयपुर 24/5/2012 को वसियत अपने अन्तिम समय पर श्री गोपाल कृष्ण शर्मा पुत्र स्व.

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

प्रभूदयाल जाति ब्राहमण निवासी लाखनी तहसील शाहपुरा हाल निवासी 40ए श्रीराम नगर मुरलीपुरा जयपुर में लिखी गयी है। समाचार पत्र में विज्ञप्ति जारी करने पर भी किसी के भी द्वारा कोई आपत्ति दर्ज नहीं करायी गयी है। अतः प्रकरण 135(2) की तारीख में आने से उनका विवेचनानुसार वसीयत से पूर्व की खातेदारी हो, वसीयत ग्रहिता व वसीयतकर्त्ता की जातिवर्ग एक ही हो अब्दुल रहमान प्रकरण मंदिर माफी से प्रभावित नहीं है और किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन/विवाद नहीं हो मौका रिपोर्ट मुताबिक वसीयत अनुसार पटवारी हल्का कांट तहसील शाहपुरा जयपुर के आ.ख.नं. 118 रकबा 0.39 ख.नं. 119 रकबा 0.11 हैक्टर ख.नं. 120 रकबा 0.07 है0 ख.नं. 446 रकबा 0.62 है0 ख.नं. 516 रकबा 0.59 है0 ख.नं. 517/0.16 कुल किता 7 कुल रकबा 2.13 हैक्टर एवं ग्राम लेटकाबास पटवार हल्का लेटकाबास तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राजस्थान के आराजी ख.नं. 1021 रकबा 0.30 है0 ख.नं. 1031 रकबा 0.16 है0 ख.नं. 320 रकबा 0. 30 है0 ख.नं. 322 रकबा 0.24 है0 ख.नं. 328 रकबा 0.22 है0 कुल किता 5 मूल रकबा 1.22 है0 के हिस्सा 1/4 की सम्पूर्ण खातेदारी मुताबिक वसीयत स्वर्गीय महादेव प्रसाद जोशी पुत्र कन्हैयालाल जाति ब्राहमण के स्थान पर श्री गोपाल कृष्ण शर्मा पुत्र स्व. श्री प्रभूदयाल शर्मा जाति ब्राहमण निवासी लाखनी तहसील शाहपुरा जिला जयपुर के हाल निवासी 40ए श्रीराम नगर मुरलीपुरा के नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त सम्पत्ति यदि स्व अर्जित हो व प्रकरण अब्दुल रहमान मंदिर माफी से प्रभावित नहीं हो ओर किसी न्यायालय का स्थगन विवाद नहीं हो तो नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद किया जावें पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो । निर्णय 16/4/2021 को खुले में सुनाया गया।

2. यह है कि उपरोक्त निर्णय की पालना में राजस्व रिकॉर्ड में नामा.सं. 1012 एवं 432 दिनांक 06/7/2021 को अमलदरामद हो गया है उसके उपरान्त तहसीलदार ने उपरोक्त आदेश पालना होने के बाद उक्त आदेश की पालना के करीब तीन माह के बाद दिनांक 09/7/2021 को अपने आदेश दिनांक 09/7/2021 के द्वारा निरस्त कर उक्त नामा. को विलोपित कर दिया गया जिसका कानून में तहसीलदार को किसी प्रकार का हक व अधिकार नही होने के बावजूद भी उक्त आदेश दिनांक 09/7/2021 पारित कर कानूनी गलती की है। इसी आधार पर उक्त आदेश 09/7/2021 के आधार पर अवैध एवं शून्य (NUL and Void) आदेश के द्वारा नामा. को विलोपित करना अपने स्वयं के आदेश पुनः निरस्त करने का अधिकार विधि मे नहीं है। तहसीलदार शाहपुरा ने दिनांक 09/7/2021 के आधार पर पुनविलोपन के आदेश द्वारा प्रार्थी के नामा. आदेश 16/4/2021 को निरस्त कर नामा. के विलोपन की कार्यवाही तहसीलदार ने बिना किसी सुनवायी के एवं बिना किसी दस्तावेज की जांच किये दिनांक 09/7/2021 को स्वीकार कर दिनांक 16/4/2021 अपने स्वयं के आदेश की पालना करने के बाद तहसीलदार (भू.अ.) शाहपुरा ने दिनांक 09/7/2021 के द्वारा नामा. विलोपन कर लिया। प्रार्थी/अप्रार्थी ने उक्त विलोपन आदेश दिनांक 09/7/2021 विलोपन नामा. से व्यथित होकर अपील पेश की है। अपीलाधीन नामा. वास्तविक तथ्यों व दस्तावेजी साक्ष्यों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। नियम 135(2) भू–राजस्व/भू–अभिलेख/अधिनियम 1957 की अनुपालना में विरासत की जांच कर वसीयत की जांच करने के बाद आदेश दिनांक 16/4/2021 को आदेश पारित किया गया है तथा उसके उपरान्त आदेश 09/7/2021 की कार्यवाही अपने आप में विधि विरूद्व होने के कारण अपीलाधीन विलोपन कार्यवाही नामा. निरस्तनीय है। नियम 135 (2) भू–राजस्व/भू–अभिलेख/अधिनियम 1957 की अनुपालना में वसीयत की जांच करने के बाद आदेश दिनांक 16/4/2021 को पारित करने के उपरान्त तहसीलदार अपने स्वयं के आदेश स्वयं के द्वारा निरस्त नहीं किया जा सकता है। इसलिए भी उक्त आदेश विधि विरूद्व है। तहसीलदार शाहपुरा ने दिनांक 06/7/2021 को अपने आदेश दिनांक 16/4/2021 की पालना रिपोर्ट अपीलार्थी को जरिये जी–मेल प्राप्त हुयी, जिसकी डिटेल में ग्राम लाखनी व ग्राम लेटकाबास में महादेव प्रसाद की जगह गोपाल कृष्ण के नाम नामान्तरकरण संख्या 1012 एवं 432 खोले गये थे जिसके बावजूद भी उक्त आदेश दिनांक 09/7/2021 को पारित किया गया है। इसी आधार पर निरस्त योग्य है।

3. यह है कि तहसीलदार शाहपुरा ने दिनांक 16/4/2021 के आदेश की पालना दिनांक 06/7/2021 करने के बाद राजस्व रिकॉर्ड में नामा.सं. 1012 एवं 432 खोलने के करीब तीन महिने बाद तहसीलदार शाहपुरा ने तारीख पेशी में एक नया आदेश दिनांक 09/7/2021 को निकाला गया जिसको अमलदरामद दिनांक 06/7/2021 को पुनः

अति. जिला कले
कोटपुतली (जय

विलोकित नामा.सं. 1012 को दिनांक 06/7/2021 को कर कानूनी गलती की है जो इसी आधार पर खारिज किये जाने योग्य है।

4. यह है कि उपरोक्त अपील सुनने एवं निर्णित करने का न्यायालय को श्रवणाधिकार प्राप्त है। उक्त अपील उचित न्याय शुल्क व अन्दर मियाद से माननीय न्यायालय के श्रवणाधिकार में पेश है।

5. यह है कि विवादित आदेश दिनांक 09/7/2021 की कार्यवाही विलोपन अपीलाधीन नामा. की जानकारी अपीलार्थी को दिनांक 28/10/2021 से पूर्व नहीं थी तथा दिनांक 28/10/2021को प्रत्यार्थी संख्या 1 के द्वारा अपीलार्थी ने अपीलाधीन विलोपन नामा की नकल लेने की दरखास्त दिनांक 29/10/2021 को लगायी जिस पर प्रत्यार्थी को दिनांक 30/10/2021 को नकल उपलब्ध करायी गयी। इस प्रकार उपरोक्त अपील अपीलाधीन नामा. की सर्व प्रथम जानकारी की तिथि दिनांक 30/10/2021 से भान्त अन्दर मियाद पेश है। इसके अतिरिक्त अपीलाधीन विलोपन नामा का आदेश प्रारम्भ से शून्य की श्रेणी में आता है। इसलिए विवादित विलोपन की कार्यवाही नामा को निरस्त कराने के लिए मियाद विधि में लागू नहीं होती है फिर भी उक्त अपील को पेश करने हुये विलम्ब को क्षमा किये जाने के लिए एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पृथक से पेश है।

अतः अपील अपीलार्थी की ओर से पेश कर निवेदन है कि अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमायी जाकर राजस्व ग्राम लेटकाबास एवं लाखनी के तहसीलदार शाहपुरा के द्वारा खोला गया नामा.सं. 1012 एवं नामा.सं. 432 दिनांक 06/7/2021 को बहाल रखा जाने का आदेश पारित करने एवं दिनांक 09/7/2021 के आदेश को निरस्त/अपास्त फरमाया जावें तथा पुनर्विलोपित नामा.सं. 1012 व 432 दिनांक 06/7/2021 को बहाल रखे जाने के आदेश फरमाया जावें।

6. अपीलान्ट द्वारा जरिये वकील अपील पेश होने पर रिपोर्ट शरिस्ता करायी गयी, रिपोर्ट समायत पायी जाने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट बाद सूचना के अपना जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया।

7. वकील अपीलान्ट उपस्थित होकर प्रकरण में लिखित बहस पेश की जो शामिल पत्रावली की गयी। प्रस्तुत लिखित बहस में वर्णित किया है कि महादेव प्रसाद पुत्र कन्हैयालाल निवासी ग्राम लाखनी तहसील शाहपुरा जयपुर के फौत हो जाने के कारण ग्राम लाखनी एवं ग्राम लेटकाबास में उनकी कृषि भूमि एवं चल अचल सम्पत्ति उनके जीवित रहने के दौरान ही अपीलार्थी ही संभालता था और उनके अन्तिम समय उनकी देखभाल व उनकी समस्त जिम्मदारिया अपीलार्थी के उपर ही थी महादेव प्रसाद की कृषि भूमि स्वअर्जित थी ओर उन्होंने अपीलार्थी के पक्ष में दिनांक 24/5/2012 को नोटेरी द्वारा प्रमाणित वसीयत कर गये थे, जिसकी जानकारी अपीलार्थी को उनकी मृत्यु के पश्चात् हुयी अपीलार्थी ने दिनांक 12/01/2021 को 135 (2) के तहत् तहसीलदार शाहपुरा के समक्ष मामला दर्ज कराया जो प्रकरण संख्या 11/2021 दर्ज कर कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। न्यायालय तहसीलदार शाहपुरा ने विधिक प्रकिया पूर्ण करते हुये दिनांक 16/4/2021 के आदेश के द्वारा अपीलार्थी को रिकॉर्डेड काश्तकार मानकर महादेव का विधिक्र वारिसान माना और इस समस्त प्रकिया में 4 माह तक गहन जांच विधिक नोटिस विज्ञप्ति अखबार इस प्रकिया में किसी भी पक्ष का कोई उज्र या आपत्ति दर्ज नहीं हुयी। अपीलार्थी द्वारा 4 माह चक्कर काटने के बाद तब जाकर दिनांक 06/7/2021 को ग्राम लाखनी का नामा. 432 एवं ग्राम लेटकाबास के नामा.सं. 1012 खोला, कार्यालय तहसीलदार शाहपुरा की ई–मेल आई.डी से अपीलार्थी की मेल आई.डी खोलकर प्राथी को भेजी जिसमें महादेव प्रसाद के स्थान पर अपीलार्थी का नाम रिकॉर्ड पर दर्ज हो गया इसके पश्चात् दिनांक 15/10/2021 को साधारण जमाबंदी निकलवायी तो अपीलार्थी का नाम ही आ रहा था। अपीलार्थी को ना तो नामा. की कोपी दी गयी ना ही उन्होने दवाब बनाना छोडा तब अपीलार्थी ने 28/10/2021 को जमाबंदी की नकल साईबर कैफे से निकलावायी तो पैरो तले जमीन खिसक गयी। तहसीलदार शाहपुरा ने जमाबंदी में से अपीलार्थी का नाम विलोपित कर दिया और 15 अक्टूबर के बाद भष्टाचार की मंशा से बैकडेट 09/7/2021 में एक तरफा बिना नोटिस दिये बिना सूचना दिये स्वयं के ही निर्णय 16/4/2021 को करीब 7 माह पश्चात् बैकडेट में 09/7/2021 डालकर गैर कानूनी रूप से खारिज कर दिया जिसमें समस्त विधिक नियमों व कानूनी प्रकिया को ताक पर रख कर बिना किसी ठोस आधार के एवं बिना किसी न्यायालय स्थगन के मनमर्जी से खारिज कर दिया गया। 09/7/2021 का आदेश एक गोलमाल आदेश है ना तो किसी न्यायालयका स्पष्ट नाम एवं स्पष्ट आदेश संख्या है। स्टे किसी भूमि पर है

ओर किस भूमि पर नहीं है जबकि तहसील कार्यालय में कर्मचारी ने अपीलार्थी को मैसेज किया था कि राजस्व मण्डल अजमेर में अपीलार्थी ने दूसरी अन्य भूमि जो 1/2 गोपाल कृष्ण पुत्र प्रभूदयाल एवं 1/2 सीताराम पुत्र हरिप्रसाद के नाम है। उसका खाता संख्या 68 एवं खसरा नम्बर 179, 180, 181, 324, 325, 326, 329, 330, 331 है। इसमें इस नामा: से. कोई सम्बन्ध नहीं है। क्योंकि ना तो यह महादेव प्रसाद की भूमि थी एवं ना ही इस नामा. में यह खाता संख्या व ख.नं. आ रहे है परन्तु यह खाता संख्या व तहसीलदार ने बिना सोचे समझे बिना देखे इसकी आड लेकर उपरोक्त नामा. खारिज कर दिया। उक्त भूमि पर ना तो कही स्टे है ना हीकिसी अन्य न्यायालय से स्थगन आदेश दिया है। प्रकरण 5/2017 का निर्णय श्रीमान् संभागीय आयुक्त ने 377/2017 निर्णय 08/02/2021 को दिया जिस पर अपीलार्थी ने स्वयं के पक्ष का स्टे ले रखा है, जिस भूमि का महादेव प्रसाद से कोई लेना–देना नहीं है। तहसीलदार शाहपुरा ने जानबूझ कर इसकी आड में बद नियति से अपीलार्थी का नामा. खारिज किया है। तहसीलदार ने नामा. संख्या 993 दिनांक 29/7/2020 को क्यो नहीं खारिज किया । तहसीलदार ने जानबूझ कर भेदभाव पूर्व एक तरफा कार्यवाही कर पद का दुरूप्योग किया है। तहसीलदार ने नामा. आदेश 16/4/2021 के आदेश से 4 माह लगे उसके बाद इसकी कियान्विति में नामा. खोलने 432 दिनांक 06/7/2021, 1012 दिनांक 06/7/2021 तीन माह का समय किस कारण से लगा और ऐसा क्या हुआ कि दो दिन बाद ही समस्त जांच प्रकिया करके पटवारी टिप्पणी लेकर दो दिन में आदेश भी जारी कर दिया जो असम्भव है। इससे स्पष्ट है कि तहसीलदार शाहपुरा ने 20 अक्टूबर के पश्चात कार्यवाही की है, जिसको कानूनी जामा पहनाने के लिए 09/7/2021 कर दी पोल खुलने के डर से रिकॉर्डेड काश्तकार को नोटिस देना उचित नहीं समझा। काफी मकसद के बाद नामा. की सत्यप्रति ली नामा. की नकल प्राप्त करने पर बडी कन्ट्रोवर्सी देखने को मिली जिसमें तहसीलदार द्वारा टिप्पणी की है कि पटवार हल्का कांट/लेटकाबास एवं आई.एल.आर की रिपोर्ट के कारण खारिज किया जा रहा है और पटवारी हल्का कांट/लेटकाबास एवं आई.एल.आर द्वारा स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि तहसीलदार के आदेश कमांक 1739/9.7.2021 जो तहसीलदार शाहपुरा का आदेश था उसकी अनुपालना में खारिज किया गया है। अतः स्पष्ट है कि तहसीलदार के आदेश कमांक 1739/ 9.7.2021 जो तहसीलदार शाहपुरा का आदेश था उसकी अनुपालना में खारिज किया गया है। अतः स्पष्ट है कि मातहत स्टॉफ ने तहसीलदार के आदेश की पालना की है। तहसीलदार की टिप्पणी असत्य है। दोनों बातों में से कोनसी सच है यह एक दूसरे के प्रतिरोधी है। इस प्रकार आदेश 1739/9.7.2021 जो रिकॉर्डेड काश्तकार के पीठ पिछे बिना सुने बिना सुनवायी का मौका दिये नियम विरूद्व जाकर न्याय के गरिमा के खलाफ किया गया है जो प्रारम्भिक तौर पर ही निरस्तनीय है। यदि मामला न्यायालय में विचाराधीन भी है तो फौती नामा. नहीं रोका जा सकता है क्योंकि मृत्क के स्थान पर उनके वारिसान का रिकॉर्ड पर अना जरूरी है। नामा. पर कोई न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं है क्योंकि बिना रिकॉर्ड पर आये वारिसान् किस प्रकार से जमीन की देखभाल व मुकदमे की कार्यवाही करेगा। अतः स्थगन आदेश नहीं है केवल अपीलार्थी को परेशान करने एवं बदले की भावना से कानून की परिधि के बहार जाकर गैर कूननी कार्य किया है जो निरस्तनीय है। अतः लिखित बहस पेश कर निवेदन है कि दिनांक 09/7/2021 निर्णय तहसीलदार शाहपुरा दुर्भावनापूर्ण पक्षपात पूर्ण एवं कानूनी के विपरित होने से निरस्त फरमाया जावें।

8. बहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया । पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड एवं साक्ष्य सबूतों तथा लिखित बहस का अवलोकन किया तो पाया कि अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार शाहपुरा द्वारा अपीलान्ट का प्रा.पत्र प्राप्त कर प्रकरण 135(2) एल. आर एक्ट में दर्ज कर मु.नं. 11/2021 उनवान गोपाल कृष्ण बनाम सरकार में स्वर्गीय महादेव प्रसाद जोशी पुत्र कन्हैयालाल जोशी जाति ब्रहामण निवासी लाखनी तहसील शाहपुरा जयपुर 24/5/2012 को वसीयत गोपाल कृष्ण शर्मा पुत्र स्व. प्रभूदयाल शर्मा जाति ब्राहमण निवासी लाखनी तहसील शाहपुरा हाल निवासी 40ए श्रीराम नगर मुरलीपुरा जयपुर लिखी गयी थी जिसकी पुष्टि पटवारी हल्का एवं गवाह की साक्षी के द्वारा भी की गयी है तथा अखबार साया कराने पर भी कोई आपत्ति दर्ज नहीं करायी गयी। तहसीलदार द्वारा दिनांक 16/4/2021 की निर्णय पारित कर मुताबिक वसीयत अनुसार पटवारी हल्का कांट एवं लेटनिठारा को आदेश दिये गये है कि ग्राम लाखनी पटवारी हल्का कांट तहसील शाहपुरा जयपुर के आराजी ख.नं. 118/0.39, 119/0.11. 120/0.07, 121/0.19, 446/0.62, 516/0.59, 517/0.16 है0 कुल किता 7 रकबा

0.213 है. एवं ख.नं. 1021 रकबा 0.30, ख.नं. 1031 रकबा 0.16, ख.नं. 320 रकबा 0.30, ख.नं. 322 रकबा 0.24, 328 रकबा 0.22 कुल किता 5 रकबा 1.22 है0 के हिस्से 1/4 की खातेदारी मुताबिक वसीयत स्व. महादेव प्रसाद जोशी जाति ब्राहमण के स्थान पर गोपाल कृष्ण शर्मा पुत्र स्व. प्रभूदयाल शर्मा जाति ब्राहमण निवासी लाखनी तहसील शाहपुरा हाल निवासी 40ए श्रीराम नगर मुरलीपुरा जयपुर के नाम दर्ज करने के आदेश दिये गये है। उक्त सम्पति यदि स्व अर्जित हो व प्रकरण अब्दुल रहमान मंदिर माफी से प्रभावित ना हो और किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं हो तो नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद किया जावें। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय 16/4/2021 की पालना में ग्राम लाखनी के उपरोक्त आराजी का नामा. पटवारी पटवार हल्का कांट द्वारा अपनी टिप्पणी में मुताबिक निर्णय 135(2) प्रकरण संख्या 11/2021 व तहसीलदार शाहपुरा के आदेश भू.अ./2021/1271–72 के आधार पर नामा. 432 दर्ज किया जाना पाया गया। भू.अ. निरीक्षक द्वारा प.ह. की रिपोर्ट की पुष्टि की है। तहसीलदार शाहपुरा द्वारा रिपोर्ट पटवारी हल्का व आईएलआर की रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 06/7/2021 को उक्त नामा. सं. 432 वाके ग्राम लाखनी तहसील शाहपुरा जिला जयपुर का स्वीकार किया है। इसी प्रकार ग्राम लेटकाबास के उपरोक्त आराजीयात का नामा. पटवारी हल्का ई. लेटनिठारा द्वारा अपनी टिप्पणी मे मुताबिक निर्णय 135(2) प्रकरण संख्या 11/2021 तहसीलदार शाहपुरा के आदेश/भू.अ. /2021/1271–72 के आधार पर नामा.सं. 1012 दर्ज कर तस्दीक हेतु प.ह. ने टिप्पणी की है, जिसकी आईएलआर ने पुष्टि की है। तहसीलदार शाहपुरा ,ारा रिपोर्ट प.ह. व आईएलआर के अनुसार दिनांक 06/7/2021 को स्वीकार किया है। अपीलान्ट के पक्ष में महादेव प्रसाद द्वारा करायी गयी वसीयत के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय मे दिनांक 16/4/2021 को अपने निर्णय के मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु लिखा गया था इसकी पालना में उक्त राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु लिखा गया था इसकी पालना में उक्त नामा. 432 व 1012 दर्ज होकर तहसीलदार शाहपुरा नेस्वीकार किये है। तहसीलदार शाहपुरा की आदेशिका 9/6/21 में उक्त प्रकरण से सम्बन्धित भू. अ. शाखा में दर्ज रजिस्टर धारा 135(2) एलआर एक्ट में प्रकरण 5/2017 व 6/2017 दर्ज होना बताया जाकर दिनांक 09/7/2021 की आदेशिका में उक्त पत्रावलियों 5/2017 व 6/2017 का अवलोकन कर उक्त दोनों प्रकरणों का निर्णय होना वर्णित किया है। प्रकरण संख्या 6/2017 निर्णय 10/11/2017 का अवलोकन किया । प्रकरण 6/2017 उक्त आराजी से सम्बन्धित व विरासत के सम्बन्ध में विभिन्न न्यायालयों का वाद विचाराधीन होने से निर्णय दिनांक 10/11/2017 द्वारा कार्यवाही स्थगित की गयी थी । प्रकरण मृत्क महादेव की विरासत के सम्बन्धित होने के कारण न्यायालय द्वारा पूर्व में दिनांक 16/4/2021 को की गयी कार्यवाही इसी स्तर पर निरस्त की जाती है, जिसकी पालना हेतु भू.अ.नि. को लिखा जाने के आदेश आदेशिका 09/7/2021 में अंकित है।

नामा.सं. 432 व 1012 की पृष्ठ पर पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट की हे कि तहसीलदार के आदेश कमांक /भू.अ./2021/1739 दिनांक 9/7/2021 के पालना में नामा. रिव्यु कर नामा. खारिज किया जाने योग्य है तथा भू.निरीक्षक की रिपोर्ट में आदेश तहसीलदार रिपोर्ट पटवारी हल्का अनुसार खारिज योग्य है। उक्त दोनों नामान्तरकरणों पर तहसीलदार शाहपुरा ने अपनी रिपोर्ट में रिपोर्ट पटवारी हल्का व आईएलआर के अनुसार दिनांक 9/7/2021 को अस्वीकृत किया गया है। उक्त नामान्तरकरणों को खारिज करने से पूर्व अपीलान्ट को सूचित कर सुनवायी का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए था, लेकिन बिना अपीलान्ट को सुने एवं उन्हें सूचित किये बिना उक्त नामान्तरकरणों को खारिज किया है जो विधि संगत नहीं है। तहसीलदार शाहपुरा द्वारा आदेशिका 9/7/2021 में प्रकरण संख्या 6/2017 में निर्णय में उक्त आराजी से सम्बन्धित व विरासत के सम्बन्ध में विभिन्न न्यायालयों में वाद विचाराधीन होने से दिनांक 10/11/2017 के द्वारा कार्यवाही स्थगन का हवाला देते हुये अधिनस्थ न्यायालय के आदेश से दिनांक 16/4/2021 की पालना में उक्त नामा.सं. 432 एवं 1012 दिनांक 6/7/2021 को स्वीकार हुये है उन्हें दिनांक 9/7/2021 को पटवारी हल्का एवं आईएलआर रिपोर्ट के आधार पर खारिज किया है वह न्याय संगत नहीं है कही भी पत्रावली के अवलोकन करने से किसी दीगर न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं है ना ही अधिनथ न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट किया कि उस न्यायालय का उक्त आरजीयात् पर स्टे/स्थगन आदेश है। भू0अ0 निरीक्षण की रिपोर्ट अनुसार आदेश तहसीलदार व रिपोर्ट पटवारी के अनुसार खारिज योग्य है। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है

कोटपूतली (जयपुर)

कि प.इ. व भू0अ0 निरीक्षक ने तहसीलदार शाहपुरा के आदेश कमांक 1739 की पालना की है। अपीलान्ट को बिना सुने व बिना नोटिस जारी किये सुनवायी का मौका दिये बिना उक्त दोनों नामान्तरकरणों को दिनांक 6/7/2021 को स्वीकार करने के बाद मात्र दो दिन में ही उपरोक्त समस्त कार्यवाही होकर दिनांक 09/7/2021 को उक्त दोनों नामा. खारिज किया है जो न्याय संगत नहीं है। पैरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत जवाब में भी ऐसा कोई कारण स्पष्ट नहीं किया जिससे उक्त नामान्तरकरणों खारिज करने की नोबत आयी हो इससे स्पष्ट है कि तहसीलदार के द्वारा बदनियति पूर्वक उक्त नामान्तरकरणों को खारिज किया जाना प्रतीत होता है। क्योंकि अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार शाहपुरा ने प्रकरण 135(2) एल.आर एक्ट में दर्ज कर विधिक रूप से अपीलान्ट के पक्ष में वसीयत के आधार पर अपीलान्ट का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद करने के आदेश दिनांक 16/4/2021 को दिये है। उक्त आदेश 16/4/2021 की पालना में नामा.सं. 432 व 1012 को दिनांक 06/7/2021 को स्वीकार होने के उपरान्त केवल दो दिन में ही दिनांक 09/7/2021 को बिना किसी कारण के उक्त नामान्तरकरणों को खारिज किया है, जो गैर कानूनी है। इसलिए अपीलान्ट की अपील स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होती है तथा बिना किसी विधिक ठोस कारण एवं बिना किसी विधिक प्रकिया अपनाये विभिन्न न्यायालयों में प्रकरण विचाराधीन होने का गोलमाल हवाला देकर तहसीलदार शाहपुरा द्वारा दिनांक 09/7/2021 को आदेश पारित कर उक्त नामान्तरकरणों को खारिज किया है, जो विधि संगत नहीं है। इसलिए अधिनस्थ न्यायालय का आदेश 09/7/2021 खाजिर किया जाना उचित एवं न्याय संगत है। इसलिए अपीलान्ट की अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

9. अतः उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय तहसील शाहपुरा जिला जयपुर के आदेश दिनांक 9/7/2021 को अपास्त किया जाकर ग्राम लेटकाबास व ग्राम लाखनी तहसील शाहपुरा के पुनविलोपित नामा. सं. 1012 व 432 दिनांक 06/7/2021 को बहाल रखे जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।
10. यह निर्णय आज दिनांक 11.3.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

12.04.22